



टी बोर्ड

14, बिप्लवी त्रैलोक्य महाराज सरणी,
कोलकाता-700 001

दिनांक: 21.11.2025

अधिसूचना

चाय अधिनियम, 1953 (अधिनियम सं. 29, 1953) की धारा 42ए की उपधारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, टी बोर्ड के उपाध्यक्ष, टी बोर्ड के सचिव को तत्काल प्रभाव से तथा अगले आदेश(ओं) तक, निर्धारित तरीके से जांच करने तथा जुर्माना लगाने के लिए न्यायनिर्णायक अधिकारी नियुक्त करते हैं।

नोट: जांच करने और जुर्माना लगाने का तरीका चाय (जांच करने व अपील) नियम, 2024 द्वारा निर्धारित किया गया है, जिसे जी.एस.आर. 487 (ई) दिनांक 8 अगस्त 2024 द्वारा अधिसूचित किया गया है, जिसे भारत के राजपत्र (असाधारण अंक) संख्या CG-DL-E-09082024-256229 में प्रकाशित किया गया है।

-ह-

(सी. मुरुगन)

उपाध्यक्ष

प्रति:-

1	सचिव, टी बोर्ड	सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु
2	हितधारकों के सभी संघ	इस अनुरोध सहित कि अधिसूचना का विषय उनके सदस्यों के ध्यान में लाया जाए।
3	कार्यपालक निदेशक, टी बोर्ड, कून्नूर व टी बोर्ड, गुवाहाटी	सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु
4	All Zonal, Regional, Sub-regional offices of Tea Board	सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु
5	All HoDs in Head Office of the Board	सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु
6	IT Cell	बोर्ड के वेबसाइट पर अधिसूचना अपलोड करने के अनुरोध सहित

संदर्भ. फाइल सं LEGAL-MISCOCOMM/11/2024-Legal Cell-Part(1)